



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112022-240102
CG-DL-E-07112022-240102

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4963]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2022/कार्तिक 16, 1944

No. 4963]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 2022/KARTIKA 16, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2022

का.आ. 5182(अ).—केंद्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2560 (अ), जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के भदोही जिले में NH-2 (नया NH-19) के हंडिया-राजातालाब खंड के कि.मी. 728.185 से कि.मी.766.535 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन / छ लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख " 10 जून 2022" को "अमर उजाला " और "दी टाइम्स ऑफ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के भदोही जिले में NH-2 (नया NH-19) के हंडिया-राजातालाब खंड के कि.मी. 728.185 से कि.मी.766.535 (भदोही) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: भदोही		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: औराई				
	गांव का नाम: जयरामपुर				
1	35/446	निजी	कृषि	0.0166	हसन उल्लाह / मुर्तजा, करी मुल्ला / मुर्तजा, नईम / अताउल्ला, अलैहिम / अताउल्ला, तनबीर / अताउल्ला, मो. स्लीम / सफ्रीउल्ला, शहवान / सफ्रीउल्ला, फ़िरोज़ शाह / सफ्रीउल्ला, मुनव्वर अली / रहीमुल्ला, इम्तियाज़ शाह / रहीमुल्ला, अयाज़ु शाह / रहीमुल्ला, शाहनवाज शाह / रहीमुल्ला, नूरजहाँ / रहीमुल्ला, अमीन / इमामुल्ला, शमीम शाह / इमामुल्ला। नि. ग्राम। (35/446)
	तालुक का नाम: ज्ञानपुर				
	गांव का नाम: चक पैराना				
1	230	निजी	अकृषि	0.009	गुलाम अली, मोहम्मद सरफराज / मोहम्मद सईद, अमीना / मोहम्मद सईद / धारा विशंभर पट्टी (230)

	कुल	0.0256	
--	-----	--------	--

[फा. सं. 11015/NHAI/PIU/ALD/LA/6laning/2018/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2022

S.O. 5182(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 2560 (E), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning/six-laning, etc.), maintenance, management and operation of Handia-Rajatalab section of NH-2(New NH-19) on the stretch of land from Km 728.185 to Km 766.535 in the district of BHADOHI in the state of UTTAR PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in “*Amar Ujaala*” and “*The Times of India*” both dated 10th June 2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within Handia-Rajatalab section of NH-2 (New NH-19) from Km. 728.185 to Km. 766.535 in the district of BHADOHI in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH			District: BHADOHI		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Aurai				
	Village: Jairampur				
1	35/446	Private	Agricultural	0.0166	Hasan Ullah / Murtaza, Curry Mullah / Murtaza, Naim / Ataullah, Alahim / Ataullah, Tanbir / Ataullah, Mo. Sleem / Safiullah, Shahwan / Safiullah, Firoz Shah / Safiullah, Munawwar Ali / Rahimullah, Imtiaz Shah / Rahimullah, Ayaz Shah / Rahimullah, Shahnawaz Shah / Rahimullah, Noorjaha / Rahimullah, Amin / Imamulla, Shamim Shah / Imamulla . Ni. Gram. 35/446

	Taluk: Gyanpur				
	Village: Chak Parauna				
1	230	Private	Non Agricultural	0.009	Gulam Ali, Mohd Sarfaraz/Mohd Saeed, Amina/Mohd Saeed/ Dhara Vishambhar Patti 230
			TOTAL	0.0256	

[F. No. 11015/NHAI/PIU/ALD/LA/6laning/2018/3D]

RAJESH GUPTA, Director